



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002  
**Indian Audit and Accounts Department**  
**O/o the Principal Accountant General (Audit-I), M.P.**  
**Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior - 474002**  
Email:agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



OE-11/G-6/F-124-3B/E-68937/का.आ.-76

दिनांक-14-08-2026

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER-76**

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार तथा महानिदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य), नई दिल्ली के पत्र संख्या Admn./VI/DeputationGazetted/304/2024-25/771 दिनांक-24.07.2026 के अनुपालन में, उक्त कार्यालय से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री आनंद कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि को मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक 60-स्टाफ(एप)-I/14-2023, दिनांक-27.01.2025 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.08.2026 से 31.07.2027 तक (द्वितीय वर्ष) निम्नलिखित शर्तों के अधीन विस्तारित किया जाता है: -

- पुनः प्रतिनियुक्ति विस्तार नहीं होने की स्थिति में, श्री आनंद स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के अंतिम दिन कार्यभार त्यागकर स्वयं को कार्यभार मुक्त करेंगे।
- उपर्युक्त निर्देश का पालन न करने पर वह स्वतः ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- नियत समयावधि में प्रत्यावर्तन नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अवधि के बाद की उनकी सेवा को सेवा में विराम माना जावेगा।
- संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि श्री आनंद की स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात् का वेतन रोक दिया जाए।

In pursuance of the orders of the Competent Authority and in compliance with Letter No. Admn./VI/Deputation Gazetted/304/2024-25/771 dated 24.07.2026 received from the Office of the Director General of Audit (Industry & Corporate Affairs), New Delhi, the period of deputation of Shri Anand Kumar, Assistant Audit Officer, who is serving in this office on deputation from the aforesaid office, is hereby extended for a further period of one year (second year), i.e., from 01.08.2026 to 31.07.2027, in accordance with the provisions contained in Headquarters Office Letter No. 60-Staff (App)-I/14-2023 dated 27.01.2025, subject to the following terms and conditions:-

- In the event of non-extension of deputation, Shri Anand shall relinquish the charge and relieve himself on the last day of the approved period of deputation.
- In case of non-compliance with the above direction, he will automatically be liable for disciplinary action.

(iii) If Shri Anand is not repatriated within the stipulated time, his service beyond the approved period will be treated as break-in-service.

(iv) The Pay and Accounts Office concerned shall ensure that the salary of Shri Anand beyond the sanctioned period of deputation is withheld.

हस्ता-

उप महालेखाकार/प्रशासन

पृष्ठ-**OE-11/G-6/F-124-3B/E-68937/**

दिनांक-

प्रतिलिपि: सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), म.प्र., ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I ) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रेषित।
4. उप निदेशक/प्रशासन, महानिदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य), नई दिल्ली के पत्र संख्या-Admn./VI/Deputation Gazetted/304/2024-25/771 दिनांक-24.07.2026 के सम्बन्ध में।
5. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I (रिपोर्ट)
6. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पी.ए.ओ- 2/5, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, लेखा भवन, म.प्र., ग्वालियर।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, संपदा प्रबंधन एवं गोपनीय कक्ष।
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई.एस.विंग & eCell, इन्ट्रानेट पर एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री महेश कुमार अलोरिया, स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु ।
10. महामंत्री, एस.ए.एस. ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
11. सम्बंधित कार्मिक- श्री आनंद कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी।
12. सूचना पटल/ऑडिट भवन ।
13. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

हस्ता./-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11